

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है।

- यह अभियान लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एवं वर्ष 2047 तक वकिसति राष्ट्र (वकिसति भारत) के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल:** यह एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने तथा देश में बाल विवाह नषिध अधिकारियों (CMPOs) के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।
 - यह लैंगिक हिसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम (जो 25 नवंबर (अंतर्राष्ट्रीय महिला हिसा उन्मूलन दिवस) से 10 दिसंबर (मानवाधिकार दिवस) तक चलने वाला एक वैश्विक आंदोलन है) के अनुरूप है।
 - CMPO बाल विवाह को रोकते हैं, अभियोजन साक्ष्य एकत्र करते हैं, ऐसे विवाहों के खिलाफ परामर्श देते हैं, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदायों को संवेदनशील बनाते हैं।
- **बाल विवाह के खिलाफ शपथ:** इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना और देश की प्रत्येक बेटी को सशक्त बनाना है, तथा एक नष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में इसके गहन महत्त्व पर प्रकाश डालना है।
 - यह अभियान औसत से अधिक बाल विवाह दर वाले राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश को लक्ष्य करेगा।
- **उपलब्धियों की सराहना:**
 - अभियान के शुभारंभ के दौरान, मंत्री ने महिला सशक्तिकरण में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, तथा जन्म के समय लगानुपात में वर्ष 2014-15 में 918 से वर्ष 2023-24 में 930 तक सुधार का ब्योरा दिया।
 - यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियम, 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 - इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबिध है।
- **महत्त्व:**
 - लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिये समर्थन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह अभियान लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये चल रहे सरकारी प्रयासों को दर्शाता है।
 - बाल विवाह उन्मूलन: अभियान ने जागरूकता बढ़ाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी रूपरेखा क्या है?

- **विधायी रूपरेखा:** भारत ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियम पारित किया, जिसके तहत विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के लिये 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई।
 - बाल विवाह प्रतिषिध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को वशिष्ट क्षेत्रों के लिये 'बाल विवाह प्रतिषिध अधिकारी (CMPO)' नियुक्त करने की अनुमति देती है।
 - सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा उसे पुरुषों के समान करने के लिये बाल विवाह प्रतिषिध (संशोधन) विधियक, 2021 नामक विधियक पेश किया है। 17वीं लोकसभा के विधितन के साथ ही यह विधियक अंततः व्यपगत हो गया।
- **संबंधित कानून:**
 - पॉक्सो अधिनियम: 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से विवाह करने वाले पुरुषों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की बालिकाओं से विवाह करने वालों पर बाल

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वकिस का अधिकार
2. अभवियक्त का अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपरयुक्त में से कौन-से अधिकार बच्चों के है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

